V.C. 2744/2023
26/7/2023

प्रो० हरिप्रसाद अधिकारी
निदेशक
अनुसंधान संस्थान
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी-२२१००२

Prof. Hari Prasad Adhikari
Director
Research Institute
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221002
Mob. : 09451894408

पत्रांक/Ref. अनु-7/23

दिनांक/Date 26/07/23

26/7/23
11:35 AM

सेवा में,

कुलपति महोदय,

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी।

विषय – शोध-प्रविधि पाठ्यक्रम (कोर्सवर्क) सत्र 2023-24 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि शोध-प्रविधि पाठ्यक्रम सञ्चालित करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ अपेक्षित हैं। कृपया निम्नलिखित व्यवस्था सम्पन्न करने के आदेशपूर्वक उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

1. शोध हेतु वर्तमान में पञ्जीकृत छात्रसंख्या 179 है। इतने छात्रों का प्रशिक्षण मात्र पाणिनि भवन ऑडिटोरियम में ही हो सकता है। विगतवर्षों में भी पाठ्यक्रम वहीं सञ्चालित हुआ था। इसके लिए पाठ्यक्रम की अवधि पर्यन्त एक माइक एवं एक स्पीकर की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन सञ्चालन की स्थिति में तदनुकूल व्यवस्थाएँ अपेक्षित होंगी। पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के लिए प्रोजक्टर एवं लैपटॉप की आवश्यकता होगी।
2. यतः कक्षाएँ अनुसंधान संस्थान के स्थान पर पाणिनि भवन सभागार में चलने का प्रस्ताव है अतः इसमें व्यवस्था हेतु 1 लिपिक एवं 1 परिचारक की आवश्यकता होती है। इसके लिए श्री शिवप्रसाद चौरसिया एवं दलसिंगार के पास अनुभव है।
3. कोर्सवर्क आवेदन की तिथि 1 अगस्त से 16 अगस्त तक रखी जा सकती है, आवेदन पत्र अनुसंधान संस्थान से निःशुल्क प्राप्त होगा।
4. उपर्युक्त व्यवस्थाएँ होने पर 20 अगस्त से कक्षा प्रारम्भ हो सकती है।
5. कक्षा का समय 02-03 शोधप्रविधि एवं 03-04 कम्प्यूटर प्रशिक्षण रखा जा सकता है।
6. अध्यापन करने वाले विद्वान विश्वविद्यालय के एवं वाराणसी नगर के होते हैं, जिन्हें पूर्व में प्रतिकक्षा रु500/= एवं बाह्यविद्वानों को रु500 मार्ग व्यय के साथ रु 1,000/= दिया जाता था।
7. कम्प्युटर प्रशिक्षण के लिए किसी विद्वान् को अतिथि अध्यापक के रुप में भी कोर्स वर्क की अवधि तक रखा जा सकता है।
8. स्टेशनरी, यात्राव्यय आदि के लिए लिपिक के नाम रु 20,000/= अग्रिम देना उचित होगा।
9. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी अध्यापक ऑनलाइन कक्षा चलाने की माँग कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा का पत्र संलग्न किया गया है। (पत्र संलग्न)
10. कोर्सवर्क सञ्चालन के साथ-साथ छात्रों के लिए शोध छात्रावास की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें अधिकतर छात्र दूरदराज के हैं।
11. आयुर्वेद संकाय का कोर्सवर्क आयुर्वेद कॉलेज में ही गत वर्ष की भाँति सञ्चालन की अनुमति दी जा सकती है। विश्वविद्यालय समय समय पर पर्यवेक्षण करता रहेगा।

कृपया उक्त सभी बिन्दुओं पर स्वीकृति प्रदान करते हुए आधिकारिक सूचना वेबसाइट एवं सम्बद्ध पक्षको प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करें।

सादर,

(प्रो.हरिप्रसाद अधिकारी)
निदेशक
अनुसन्धान संस्थान
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

Univ. Engg
Comp. Programmer
26/7/23

संख्या-69 /सत्तर-1-2022

प्रेषक,

मोनिका एस0गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2022**

विषय:- प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एम0फिल/पी0एच0डी0 की उपाधि हेतु कोर्स वर्क पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0फिल/पी0एच0डी0 की उपाधि हेतु कोर्स वर्क पूरा किया जाना एम0फिल/पी0एच0डी0 हेतु अनिवार्यता का मानक यू0जी0सी0 के एम0फिल/पी0एच0डी0 रेगुलेशन 2016 में निर्धारित है। उक्त कोर्स वर्क पूर्ण करने हेतु सेवारत शिक्षकों को अवकाश लेना आवश्यक है जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। अतः उक्त कठिनाई के निवारण हेतु कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ-साथ आनलाइन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यवाही कर सकते हैं **अर्थात** कार्यरत शिक्षक कोर्स वर्क को ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप में पूर्ण कर एम0फिल/पी0एच0डी0 की उपाधि हेतु शोध कार्य कर सकते है।

भवदीया,

6/1

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव